

ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज मंथना कानपुर राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान

बीए प्रथम वर्ष

(सेमेस्टर 1)

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के
राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमानुसार

परीक्षोपयोगी प्रश्न-उत्तर सहित

2026



छात्र/छात्राओं के विशेष हित
को ध्यान में रखते हुए तैयार कर प्रेषित
द्वारा
राजनीति विज्ञान विभाग

B.A. First Semester
Political Science

Indian National Movement & Constitution of India

पाठ्यक्रम के सभी 30 लघु उत्तरीय एवं 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के मॉडल उत्तर नीचे क्रमशः खंड और इकाई (Unit) अनुसार दिए गए हैं:

भाग A: लघु उत्तरीय प्रश्न
(Short Answer Questions)

इकाई I: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियाँ

प्रश्न 1: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण उत्तरदायी थे:

ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक शोषण: दादाभाई नौरोजी के 'धन के निष्कासन सिद्धांत' (Drain of Wealth) ने यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही थीं।

पश्चिमी शिक्षा एवं आधुनिक विचारों का प्रभाव: अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ।

आधुनिक संचार माध्यम: रेलवे, डाक-तार और समाचार पत्रों (जैसे - केसरी, द हिंदू, अमृत बाज़ार पत्रिका) ने देश भर के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ: वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878) और आर्म्स एक्ट (1878) जैसे कानूनों ने जन-असंतोष को तीव्र किया।

प्रश्न 2: उदारवादी (Moderates) और उग्रवादी (Extremists)
विचारधारा में दो मुख्य अंतर बताइए।

उत्तर: उदारवादी और उग्रवादी नेताओं की विचारधारा में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

| आधार | उदारवादी (Moderates) | उग्रवादी (Extremists)

| साधन एवं पद्धति | संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों (याचिका, प्रार्थना पत्र) में विश्वास रखते थे। इसे "भिक्षावृत्ति की राजनीति" भी कहा गया। | बहिष्कार, स्वदेशी, निष्क्रिय प्रतिरोध और स्वराज के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष में विश्वास रखते थे। |

ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण- ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था और वे अंग्रेजों की छत्रछाया में क्रमिक सुधार चाहते थे। | ब्रिटिश शासन को पूरी तरह शोषक मानते थे और पूर्ण स्वराज (स्वशासन) की मांग करते थे। |

प्रश्न 3: राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे?

उत्तर: 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध: ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों और पंजाब में हुए अत्याचारों का विरोध करना।

खिलाफत मुद्दे का समाधान: तुर्की के खलीफा के पद और अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम समुदाय का समर्थन करना और हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित करना।

स्वराज की प्राप्ति: एक वर्ष के भीतर स्वराज (स्वशासन) प्राप्त करना।

असहयोग की नीति: सरकारी उपाधियों, अदालतों, सरकारी स्कूलों-कॉलेजों और विदेशी सामानों का पूर्ण बहिष्कार करना।

प्रश्न 4: क्रांतिकारी आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था?

उत्तर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन (भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वटुकेश्वर दत्त आदि) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है:

युवाओं में राष्ट्रवाद का संचार: क्रांतिकारियों के आत्मबलिदान ने युवाओं में देशभक्ति और वीरता की भावना जगाई।

ब्रिटिश हुकूमत में भय: उन्होंने यह संदेश दिया कि भारतीय औपनिवेशिक अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं हैं।

वैचारिक चेतना: भगत सिंह और उनके साथियों ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया।

इकाई II: संवैधानिक विकास, संविधान सभा, दर्शन एवं नागरिकता

प्रश्न 5: संविधान सभा (**Constituent Assembly**) का गठन किस योजना के तहत हुआ था?

उत्तर: भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946) के प्रस्तावों के तहत हुआ था। इसके तहत जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 292 प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुने जाने थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।

प्रश्न 6: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का क्या महत्व है?

उत्तर: भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा और कुंजी कही जाती है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से है:

यह संविधान के मुख्य स्रोतों (भारत के लोग), राज्य के स्वरूप (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य) को दर्शाती है।

यह संविधान के मुख्य उद्देश्यों - न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को रेखांकित करती है।

न्यायालयों द्वारा संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को एक मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 7: संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए:

समाजवादी (Socialist): भारत में 'लोकतांत्रिक समाजवाद' को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है - गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। यहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व है।

धर्मनिरपेक्ष / पंथनिरपेक्ष (Secular): इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन प्रदान करेगा।

प्रश्न 8: भारतीय संविधान में नागरिकता (Citizenship) प्राप्त करने के दो प्रमुख तरीके लिखिए।

उत्तर: नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के दो प्रमुख तरीके हैं:

जन्म से (By Birth): 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति (संवैधानिक शर्तों के अधीन) भारत का नागरिक होता है।

पंजीकरण द्वारा (By Registration): भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति आवश्यक शर्तों को पूरा करके पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 9: भारत के संवैधानिक विकास में 1935 के भारत सरकार अधिनियम की भूमिका बताइए।

उत्तर: 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है:

इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) लागू की गई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया।

एक अखिल भारतीय संघ (All-India Federation) तथा शक्तियों के विभाजन (संघी, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची) का प्रावधान किया गया।

संघीय न्यायालय (Federal Court) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना का प्रावधान किया गया।

इकाई III: मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व

प्रश्न 10: मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दो मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

| आधार | मौलिक अधिकार (भाग III) | नीति निर्देशक तत्व (भाग IV) |

| न्याययोग्यता (Justiciability) | ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) हैं। उल्लंघन होने पर कोर्ट जाया जा सकता है। | ये

न्यायालय द्वारा गैर-न्याययोग्य हैं। उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जाया जा सकता। |

| प्रकृति एवं उद्देश्य | ये मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। | ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। |

प्रश्न 11: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार' की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

उत्तर: अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले (1978) के बाद इसका व्यापक विस्तार किया है।

अब इसमें केवल जीवित रहना शामिल नहीं है, बल्कि 'गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार' शामिल है, जैसे - स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार (Right to Privacy), शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A), और स्वास्थ्य का अधिकार।

प्रश्न 12: भारतीय संविधान में उल्लिखित 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' (अनुच्छेद 32) क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था:

यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।

इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें (Writs) जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण।

प्रश्न 13: मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इनका क्या उद्देश्य है?

उत्तर:

संशोधन: मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) के तहत जोड़ा गया (86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया)।

उद्देश्य: नागरिकों को यह याद दिलाना कि अधिकारों का उपभोग करने के साथ-साथ उनके देश, समाज और संविधान के प्रति कुछ नैतिक दायित्व भी हैं।

प्रश्न 14: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSPs) के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य हैं:

भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना करना।

सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।

आय, अवसर और सुविधाओं की असमानता को कम करना।

इकाई IV: मौलिक अधिकार-नीति निर्देशक तत्व संघर्ष, संशोधन प्रक्रिया एवं मूल संरचना

प्रश्न 15: 'केशवानंद भारती मामला (1973)' क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है:

इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग (मौलिक अधिकारों सहित) में संशोधन कर सकती है।

किंतु, संसद संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।

प्रश्न 16: भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर: मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा निर्मित एक संवैधानिक अवधारणा है। इसके अनुसार संविधान के कुछ मौलिक लक्षण इतने महत्वपूर्ण हैं कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके भी उन्हें समाप्त नहीं कर सकती।

उदाहरण: संविधान की सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक व गणतान्त्रिक ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

प्रश्न 17: भारतीय संविधान में संशोधन (Amendment) की तीन विधियाँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियाँ हैं:

1. साधारण बहुमत द्वारा: संसद के साधारण बहुमत द्वारा (उदा. नए राज्यों का गठन)।
2. विशेष बहुमत द्वारा: संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से।
3. विशेष बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन: संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा।

प्रश्न 18: मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संघर्ष को स्पष्ट करने वाले किसी एक प्रमुख मामले का नाम लिखिए।

उत्तर: मिनर्वा मिल्स मामला (1980): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि एक-दूसरे से श्रेष्ठ।

इकाई V: संघ कार्यपालिका एवं संघ विधायिका

प्रश्न 19: भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers) का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर: संविधान के भाग XVIII में राष्ट्रपति की तीन आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है:

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर।

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): भारत की वित्तीय साख या स्थायित्व को खतरा होने पर।

प्रश्न 20: भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक (Real Executive) होता है और मंत्री परिषद का प्रमुख होता है।

प्रश्न 21: लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) की दो प्रमुख शक्तियाँ बताइए।

उत्तर:

सदन का संचालन: वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखता है।

धन विधेयक का प्रमाणन: कोई विधेयक 'धन विधेयक' (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।

प्रश्न 22: राज्यसभा को 'स्थायी सदन' क्यों कहा जाता है?

उत्तर: राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च और स्थायी सदन है क्योंकि:

इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता।

इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

इकाई VI: राज्य कार्यपालिका एवं राज्य विधानमंडल

प्रश्न 23: राज्य के राज्यपाल (Governor) की संवैधानिक स्थिति क्या है?

उत्तर: राज्य में राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है:

वह राज्य का संवैधानिक/नामात्र का प्रमुख (Formal Head) होता है।

वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

प्रश्न 24: मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं उनकी प्रमुख भूमिका संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है (विधानसभा में बहुमत दल का नेता)। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है और राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद् के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है।

प्रश्न 25: राज्य विधान परिषद (Legislative Council) के गठन की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या अंत कर सकती है।

इकाई VII: न्यायपालिका

प्रश्न 26: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के 'प्रारंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ उन मुकदमों से है जिनकी सुनवाई सीधे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, जैसे:

भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

दो या दो से अधिक राज्यों के आपस के विवाद।

प्रश्न 27: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की अवधारणा क्या है?

उत्तर: न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे अमान्य (Null and Void) घोषित कर सकती है।

प्रश्न 28: भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका (District Courts) का क्या संरचनात्मक ढांचा है?

उत्तर: जिला स्तर पर न्यायपालिका दो मुख्य भागों में बंटी होती है:

दीवानी मामले (Civil Cases): जिला न्यायाधीश (District Judge) का न्यायालय।

फौजदारी मामले (Criminal Cases): सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) का न्यायालय।

इकाई VIII: केंद्र-राज्य संबंध, जनजातीय/पूर्वोत्तर प्रावधान एवं निर्वाचन आयोग

प्रश्न 29: भारत में निर्वाचन आयोग (Election Commission) के दो प्रमुख कार्य लिखिए।

उत्तर: (अनुच्छेद 324 के अंतर्गत)

संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन व नियंत्रण करना।

मतदाता सूची (Electoral Rolls) तैयार करना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिह्न प्रदान करना।

प्रश्न 30: भारतीय संविधान के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों अथवा जनजातीय क्षेत्रों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर: संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं:

छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) का प्रावधान है।

इनका उद्देश्य स्थानीय जनजातीय संस्कृति, भूमि और परंपराओं का संरक्षण करना है।

भाग B: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Questions)

इकाई I: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

प्रश्न 1: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा इसमें उदारवादी, उग्रवादी एवं गांधीवादी विचारधाराओं के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरोध की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीय चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस आंदोलन को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया जाता है:

1. प्रथम चरण: उदारवादी चरण (1885 - 1905)

इस चरण का नेतृत्व दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे बुद्धिजीवियों ने किया।

विचारधारा एवं साधन: उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। वे अहिंसक और संवैधानिक साधनों जैसे प्रार्थना पत्र, याचिकाएं और भाषणों में विश्वास करते थे।

योगदान: उन्होंने औपनिवेशिक शोषण के 'धन निष्कासन सिद्धांत' को उजागर किया और भारतीयों में राजनीतिक चेतना का बीजारोपण किया।

2. द्वितीय चरण: उग्रवादी चरण (1905 - 1919)

1905 के बंगाल विभाजन के बाद बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल (लाल-बाल-पाल) और अरविंद घोष के नेतृत्व में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ।

विचारधारा एवं साधन: इन्होंने 'स्वराज' को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना। बहिष्कार (Boycott), स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध इनके मुख्य साधन थे।

योगदान: इस चरण ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन-आंदोलन का रूप दिया और युवाओं में आत्म-बलिदान की प्रेरणा भरी।

3. तृतीय चरण: गांधीवादी चरण (1919 - 1947)

महात्मा गांधी के आगमन के साथ आंदोलन अभूतपूर्व जन-आंदोलन में बदल गया।

विचारधारा: सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय गांधी जी के मुख्य हथियार थे।

प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन (1920), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942)।

योगदान: गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और दलितों को आंदोलन से जोड़कर इसे सर्वसमावेशी बनाया, जिसने अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया।

प्रश्न 2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तियों (क्रांतिकारी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन) के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केवल अहिंसक धारा ही नहीं थी, बल्कि कई अन्य समानांतर राजनीतिक प्रवृत्तियों ने भी ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी:

1. क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movement)

क्रांतिकारी आंदोलन के दो मुख्य चरण रहे - पहला बंगाल व महाराष्ट्र में (1905-1915) और दूसरा उत्तर भारत में HRA/HSRA (भगत सिंह, आजाद, राजगुरु) द्वारा।

प्रभाव: क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों में भय व्याप्त किया। भगत सिंह और उनके साथियों ने समाजवाद के विचार को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

सीमा: यह एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप नहीं ले सका और दमन का शिकार हुआ, परंतु इसका नैतिक प्रभाव अत्यधिक था।

2. वामपंथी आंदोलन (Leftist Movement)

1920 के दशक में मानवेंद्र नाथ रॉय, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव से वामपंथी विचारों का प्रसार हुआ।

प्रभाव: इसने आंदोलन का ध्यान किसानों और मजदूरों की आर्थिक मांगों (भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी) की ओर आकर्षित किया।

सीमा: वामपंथी दल कई बार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय धारा से अलग-थलग पड़ गए।

3. भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

9 अगस्त 1942 को गांधी जी के "करो या मरो" के नारे के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ।

प्रभाव: इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत पर अब ब्रिटिश शासन बनाए रखना असंभव है। इसने अंतिम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

इकाई II: संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं दर्शन

प्रश्न 3: संविधान सभा के गठन, उसकी कार्यप्रणाली तथा भारत के संविधान के निर्माण में इसकी भूमिका की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

1. संविधान सभा का गठन

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत किया गया। इसमें कुल 389 सदस्य निर्धारित थे (विभाजन के बाद 299 रह गए)। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ।

2. कार्यप्रणाली

प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, जिसने संविधान के दर्शन का आधार तय किया।

समितियाँ: संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियाँ बनाई गईं, जिनमें प्रारूप समिति (Drafting Committee) सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर थे।

3. संविधान निर्माण का समय और परिणाम
संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में व्यापक विचार-विमर्श के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत (Adopted) किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ।

प्रश्न 4: भारतीय संविधान के दर्शन एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

भारतीय संविधान का दर्शन उसकी प्रस्तावना में अंतर्निहित है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता के मूल्यों पर आधारित है।

प्रमुख विशेषताएं:

विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान: इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे।

कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण: इसमें संशोधन की प्रक्रिया न तो अत्यधिक कठोर है (जैसे अमेरिका) और न ही अत्यधिक सरल (जैसे ब्रिटेन)।

एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था: भारत में 'केंद्राभिमुख संघवाद' (Quasi-Federal) है।

संसदीय शासन प्रणाली: कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका: न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है।

आलोचनात्मक बिंदु:
आलोचकों का तर्क है कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की नकल है और अत्यधिक विस्तृत होने के कारण वकीलों का स्वर्ग (Lawyers' Paradise) बन गया है। हालांकि, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के कारण यह आज भी प्रासंगिक और सफल है।

प्रश्न 5: भारतीय संविधान के तहत नागरिकता से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों (प्राप्ति एवं समाप्ति) का विस्तृत विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) की व्यवस्था है।

1. नागरिकता प्राप्त करने के आधार (नागरिकता अधिनियम, 1955)

जन्म से (By Birth): भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति।

वंश परंपरा से (By Descent): भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति यदि उसके माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो।

पंजीकरण द्वारा (By Registration): भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय से विवाह करने वाले व्यक्ति जो निर्धारित समय से भारत में रह रहे हों।

देशीकरण द्वारा (By Naturalization): विदेशी नागरिक जो निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों।

क्षेत्र समाविष्ट द्वारा (By Incorporation of Territory): यदि कोई नया भू-भाग भारत में शामिल होता है (जैसे- पांडिचेरी)।

2. नागरिकता की समाप्ति

स्वेच्छा से त्याग (Renunciation): यदि कोई अपनी नागरिकता छोड़ दे।

अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर (Termination): भारत की एकल नागरिकता प्रणाली के कारण स्वचालित रूप से नागरिकता समाप्त हो जाती है।

सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर (Deprivation): छल-कपट से नागरिकता प्राप्त करने या संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर।

इकाई III: मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

प्रश्न 6: भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या ये अधिकार असीमित हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर:

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं:

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं?

नहीं, मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष (Absolute) नहीं हैं।

युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restrictions): राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, देश की एकता एवं अखंडता के आधार पर अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

आपातकाल में निलंबन: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।

प्रश्न 7: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा, वर्गीकरण और व्यावहारिक उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित नीति निर्देशक तत्व (DPSPs) शामिल हैं।

1. नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण

समाजवादी सिद्धांत (Socialistic): अनु. 38 (लोक कल्याण), अनु. 39 (संसाधनों का समान वितरण), अनु. 41 (काम का अधिकार)।

गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian): अनु. 40 (ग्राम पंचायतों का गठन), अनु. 43 (कुटीर उद्योग), अनु. 47 (मद्यपान निषेध)।

उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual): अनु. 44 (समान नागरिक संहिता), अनु. 48A (पर्यावरण संरक्षण), अनु. 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति)।

2. व्यावहारिक उपयोगिता

यद्यपि ये अदालत द्वारा गैर-न्याययोग्य हैं, फिर भी ये सरकारों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। मनरेगा, पंचायती राज अधिनियम, और शिक्षा का अधिकार जैसी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के ही परिणाम हैं।

प्रश्न 8: नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के महत्व, प्रकृति और उनके प्रवर्तन (Enforcement) से जुड़े मुद्दों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

1. मौलिक कर्तव्यों का महत्व एवं प्रकृति

अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये गैर-न्याययोग्य (Non-justiciable) हैं। इनकी प्रकृति नागरिकों को उनके राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की याद दिलाना है, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और पर्यावरण की रक्षा करना।

2. प्रवर्तन (Enforcement) से जुड़े मुद्दे

संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंड का सीधा प्रावधान नहीं है।

हालांकि, संसद ने अलग-अलग कानून बनाकर कई कर्तव्यों को लागू किया है; जैसे - राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971) और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972)।

न्यायपालिका का मानना है कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय मौलिक कर्तव्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इकाई IV: संशोधन प्रक्रिया एवं मूल संरचना।

प्रश्न 9: मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य ऐतिहासिक संघर्ष और इसके संवैधानिक विकास का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए।

उत्तर:

मौलिक अधिकारों (भाग III) और नीति निर्देशक तत्वों (भाग IV) के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक लंबा कानूनी संघर्ष रहा है:

चंपकम दोराइराजन मामला (1951): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं।

गोलकनाथ मामला (1967): न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती करने के लिए संविधान संशोधन नहीं कर सकती।

24वाँ और 25वाँ संविधान संशोधन (1971): संसद ने कानून बनाकर अनुच्छेद 31C जोड़ा और नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 39b और 39c) को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 19) पर वरीयता दी।

केशवानंद भारती (1973) और मिन्वा मिल्स (1980): मिन्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भाग III और भाग IV के बीच संतुलन ही संविधान का 'मूल ढांचा' है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

प्रश्न 10: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'मूल संरचना के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

1. अनुच्छेद 368 की संशोधन प्रक्रिया

विशेष बहुमत: कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत।

विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति: यदि संशोधन संघात्मक ढांचे से जुड़ा हो, तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक है।

2. मूल संरचना का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

1973 के केशवानंद भारती मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।

अर्थ: संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की 'मूल आत्मा' या 'मूल ढांचे' को नष्ट नहीं कर सकती।

मूल ढांचे के तत्व: लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और विधि का शासन।

इकाई V: संघ कार्यपालिका एवं विधायिका।

प्रश्न 11: भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, स्थिति एवं आपातकालीन अधिकारों का विस्तृत परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

1. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह कार्यपालिका का औपचारिक/संवैधानिक प्रमुख (De Jure Head) होता है, जो मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करता है।

2. राष्ट्रपति की शक्तियां

कार्यपालिक शक्तियां: प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपालों व CAG की नियुक्ति।

विधायी शक्तियां: संसद का सत्र बुलाना, अध्यादेश (Ordinance - अनु. 123) जारी करना, विधेयकों पर स्वीकृति देना।

न्यायिक व सैन्य शक्तियां: क्षमादान शक्ति (अनु. 72) तथा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होना।

3. आपातकालीन शक्तियां

राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352): युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय।

राष्ट्रपति शासन (अनु. 356): राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर।

वित्तीय आपातकाल (अनु. 360): वित्तीय साख को खतरा होने पर।

प्रश्न 12: "भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु है।" इस कथन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

1. प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और भूमिका

मंत्रिपरिषद् का नेता: मंत्रियों के चयन, विभागों के आवंटन और उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है।

राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी: अनु. 78 के तहत सरकार के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है।

संसद का नेता: लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के नाते नीतियों की घोषणा करता है।

राष्ट्र का प्रतिनिधि: वैदेशिक नीति के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है।

2. स्थिति का मूल्यांकन

प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति उसके व्यक्तित्व, संसद में बहुमत के आकार (पूर्ण बहुमत बनाम गठबंधन सरकार) पर निर्भर करती है।

प्रश्न 13: संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) का संगठन, शक्तियाँ और उनके परस्पर संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

उत्तर:

तुलनात्मक तालिका: संगठन व शक्तियाँ
आधार	लोकसभा (निम्न सदन)	राज्यसभा (उच्च सदन)
संगठन	अधिकतम 550 सदस्य, प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल: 5 वर्ष।	अधिकतम 250 सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है।
वित्तीय शक्तियाँ	धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। यह अत्यधिक शक्तिशाली है।	धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, रद्द नहीं कर सकती।
कार्यपालिका पर नियंत्रण	अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।	केवल प्रश्न पूछ सकती है, सरकार नहीं गिरा सकती।
अनन्य शक्तियाँ	आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करना।	अनु. 249 (राज्य सूची पर कानून बनाना) और अनु. 312 (अखिल भारतीय सेवाएं)।

निष्कर्ष:

सामान्य विधेयकों और संविधान संशोधन में दोनों सदनों को लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु वित्तीय मामलों और सरकार के अस्तित्व के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है।

इकाई VI: राज्य कार्यपालिका एवं विधानमंडल

प्रश्न 14: राज्य में राज्यपाल की शक्तियाँ, भूमिका और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उनकी विवेकाधीन शक्तियों से उत्पन्न विवादों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

1. राज्यपाल की दोहरी भूमिका

राज्य का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head)।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधि (Agent of Central Govt)।

2. विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers)

अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं:

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना।

अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना (अनु. 200)।

3. विवाद के बिंदु एवं समाधान

राज्यपाल के पद का दुरुपयोग अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए किया जाता रहा है। सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यपाल एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए।

प्रश्न 15: राज्य विधानमंडल की संरचना, शक्तियाँ तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

1. संरचना

राज्य विधानमंडल में राज्यपाल तथा एक या दो सदन होते हैं (विधानसभा और विधान परिषद)। अधिकांश राज्यों में एकसदनात्मक (केवल विधानसभा) व्यवस्था है।

2. कानून निर्माण की प्रक्रिया

विधेयक प्रस्तुत करना: विधेयक साधारण या धन विधेयक हो सकता है।

तीन वाचन (Three Readings): विधेयक पर प्रथम वाचन, विस्तृत चर्चा (द्वितीय वाचन) और मतदान (तृतीय वाचन) होता है।

दूसरे सदन की भूमिका: यदि विधान परिषद है, तो वह किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने (3 महीने + 1 महीना) तक रोक सकती है।

राज्यपाल की स्वीकृति: दोनों सदनों/विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति (अनु. 200) मिलने पर कानून बन जाता है।

इकाई VII: न्यायपालिका

प्रश्न 16: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

1. संगठन

संविधान के भाग V (अनुच्छेद 124-147) में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। वर्तमान में इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

2. क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction - अनु. 131): केंद्र-राज्य या राज्य-राज्य विवाद।

रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction - अनु. 32): मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु।

अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction - अनु. 132-134): संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में अपील।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction - अनु. 143): राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर कानूनी सलाह देना।

अभिलेख न्यायालय (Court of Record - अनु. 129): इसके निर्णय पूर्व दृष्टांत के रूप में मान्य होते हैं।

प्रश्न 17: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर:

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ

इसका अर्थ है कि न्यायाधीश बिना किसी निष्पक्षता, दबाव, भय या कार्यपालिका/विधायिका के हस्तक्षेप के न्याय कर सकें।

2. संवैधानिक प्रावधान

नियुक्ति एवं सेवा शर्तें: न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल (65 वर्ष की आयु तक)।

वेतन एवं भत्ते: न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) पर भारित होते हैं।

आचरण पर चर्चा पर रोक: संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती (महाभियोग प्रस्ताव के अलावा)।

अवमानना हेतु दंड की शक्ति: न्यायालय को अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने का अधिकार है।

प्रश्न 18: भारत में उच्च न्यायालयों (High Courts) के क्षेत्राधिकार, शक्तियों तथा अधीनस्थ न्यायपालिका पर उनके नियंत्रण की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

1. उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 214-231)

अपीलीय व रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226): यह सर्वोच्च न्यायालय से भी व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक

अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

2. अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण

अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति प्राप्त है। यह जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति और तबादलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इकाई VIII: केंद्र-राज्य संबंध एवं निर्वाचन आयोग

प्रश्न 19: भारत में केंद्र-राज्य संबंधों का विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से विस्तृत परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

1. विधायी संबंध (Legislative Relations - अनु. 245-255)
संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है:

संघ सूची (Union List): रक्षा, विदेश नीति (केंद्र का अधिकार)।

राज्य सूची (State List): पुलिस, स्वास्थ्य (राज्य का अधिकार)।

समवर्ती सूची (Concurrent List): शिक्षा, वन (दोनों का अधिकार, टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य)।

2. प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations - अनु. 256-263)

अखिल भारतीय सेवाएं (IAS/IPS) केंद्र के नियंत्रण में रहकर राज्यों में सेवाएं देती हैं।

3. वित्तीय संबंध (Financial Relations - अनु. 268-293)
वित्त आयोग (Finance Commission - अनु. 280) करों के बंटवारे की सिफारिश करता है।

प्रश्न 20: भारत के निर्वाचन आयोग के संगठन, शक्तियाँ एवं कार्यों का वर्णन कीजिए तथा निष्पक्ष चुनाव कराने में इसके योगदान की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

1. संगठन (अनुच्छेद 324)

निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

2. शक्तियाँ एवं कार्य

प्रशासनिक कार्य: चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियाँ तैयार करना।

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct): चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करना।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण: दलों को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय दल का दर्जा और चुनाव चिह्न आवंटित करना।

3. मूल्यांकन

भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईवीएम (EVM) और वीवीपीएटी (VVPAT) का प्रयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में इसका मुख्य योगदान है।

भाग C: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Questions)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान: विस्तृत उत्तरमाला (प्रश्न 31-50)

प्रश्न 31: 'भारत छोड़ो आंदोलन' (1942) के कारणों, प्रसार और भारतीय स्वतंत्रता में इसके ऐतिहासिक महत्व की सविस्तार व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

प्रस्तावना: 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ 'भारत छोड़ो आंदोलन' भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार था। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए "करो या मरो" के नारे ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन अब भारत में अधिक समय तक नहीं टिक सकता।

आंदोलन के प्रमुख कारण:

1. **क्रिप्स मिशन की विफलता:** ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान भारतीयों का समर्थन पाने के लिए स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, लेकिन उनके प्रस्तावों में 'पूर्ण स्वतंत्रता' के स्थान पर 'डोमिनियन स्टेटस' की बात थी, जिसे कांग्रेस ने "दिवालिया बैंक के नाम उत्तर-दिनांकित चेक" (Post-dated check on a crashing bank) कहकर ठुकरा दिया।
2. **द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव:** युद्ध के कारण भारत में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई और महंगाई चरम पर पहुँच गई, जिससे आम जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति भारी असंतोष पैदा हुआ।
3. **जापानी आक्रमण का भय:** दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की प्रगति को देखते हुए गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें, तो जापान के आक्रमण का कोई कारण नहीं रहेगा।

4. बर्मा में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार: बर्मा (म्यांमार) से भाग रहे भारतीयों के साथ ब्रिटिश सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार ने भारतीय जनमानस को आक्रोशित कर दिया।

आंदोलन का प्रसार:

8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से आंदोलन की घोषणा हुई। अगले ही दिन सरकार ने 'ऑपरेशन जीरो ऑवर' के तहत गांधी जी, नेहरू और पटेल सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेतृत्व की अनुपस्थिति में यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त जन-आंदोलन बन गया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन को गति दी। देश के कई हिस्सों जैसे बलिया (चित्तू पांडे), तामलुक और सतारा में 'समानांतर सरकारें' स्थापित की गईं।

ऐतिहासिक महत्व:

- जनशक्ति का प्रदर्शन: इस आंदोलन में पहली बार मजदूरों, किसानों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया।
- स्वतंत्रता की अनिवार्यता: इसने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि अब वे भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं कर सकते।
- ब्रिटिश सत्ता की नींव का हिलना: पुलिस और प्रशासन का एक हिस्सा भी आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति रखने लगा था।

निष्कर्ष: यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाकर आंदोलन को कुछ समय के लिए दबा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि अब आजादी केवल समय की बात है।

प्रश्न 32: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (**Preamble**) के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रमुख वादों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रस्तावना का स्वरूप: भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। यह संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और शासन के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है।

प्रस्तावना के मुख्य तत्व:

1. शक्ति का स्रोत: "हम भारत के लोग" यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है।
2. राज्य का स्वरूप: प्रस्तावना भारत को एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' घोषित करती है।
 - संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न: भारत आंतरिक और बाह्य रूप से किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है।
 - समाजवादी: आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना करना।
 - पंथनिरपेक्ष: राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा।
 - गणराज्य: भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा।
3. संविधान के उद्देश्य: न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना), समता (प्रतिष्ठा और अवसर की) तथा बंधुता (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता)।

क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? (न्यायिक दृष्टिकोण):

इस प्रश्न पर न्यायपालिका के विचार समय के साथ बदलते रहे हैं:

- बेरुबारी यूनियन वाद (1960): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी तो है, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है।" इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
- केशवानंद भारती वाद (1973): इस ऐतिहासिक मामले में न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए कहा कि "प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है।" न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट न करे।
- एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद (1995): न्यायालय ने पुनः दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है।

महत्व: प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या में अस्पष्टता होती है, तो न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेता है। इसी के आधार पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

प्रश्न 33: अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत 'समता के अधिकार' का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या भारतीय समाज में पूर्ण समानता स्थापित हो पाई है?

उत्तर:

परिचय: भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक

भारत में सदियों से चली आ रही सामाजिक विषमता को समाप्त करना है।

संवैधानिक प्रावधान:

1. अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता): यह घोषित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह कानून के शासन (Rule of Law) की स्थापना करता है।
2. अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध): धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों (कुओं, दुकानों, होटलों) पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है।
3. अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता): सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण इसका एक अपवाद नहीं बल्कि समता को वास्तविक बनाने का एक साधन है।
4. अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत): यह अनुच्छेद छुआछूत को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह भारतीय संविधान का एकमात्र 'निरपेक्ष' (Absolute) अधिकार है।
5. अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत): सेना और विद्या संबंधी सम्मानों को छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ताकि समाज में कृत्रिम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग न बने।

आलोचनात्मक परीक्षण:

संवैधानिक रूप से समानता प्रदान किए जाने के बावजूद व्यवहार में कई चुनौतियां हैं:

- आरक्षण बनाम मेरिट: अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण की नीति पर अक्सर विवाद होता है। आलोचकों का तर्क है कि इससे योग्यता की अनदेखी होती है, जबकि समर्थकों का मानना है कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए यह आवश्यक है।
- सामाजिक छुआछूत: कानून होने के बाद भी ग्रामीण भारत में आज भी जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता की घटनाएं सामने आती हैं।
- आर्थिक विषमता: विधि के समक्ष समता तब तक बेमानी है जब तक अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी है। एक गरीब व्यक्ति महंगा वकील नहीं कर सकता, जिससे कानूनी समता प्रभावित होती है।

निष्कर्ष: 'समता का अधिकार' केवल एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का औजार है। यद्यपि हम पूर्ण समानता से दूर हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों ने हाशिए पर खड़े समाज को मुख्यधारा में आने का संवैधानिक आधार प्रदान किया है।

प्रश्न 34: अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 'स्वतंत्रता के अधिकारों' का वर्णन कीजिए। क्या इन पर लगाए गए 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (Reasonable Restrictions) न्यायसंगत हैं?

उत्तर:

परिचय: अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का 'लोकतान्त्रिक स्तंभ' माना जाता है। यह नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।

छह स्वतंत्रताएं (अनुच्छेद 19(1)):

1. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और मौन रहने का अधिकार भी शामिल है।
2. शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता: बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार।
3. संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता: इसमें सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी शामिल है।
4. भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता।
5. भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।
6. कोई भी वृत्ति (**Profession**), व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।

युक्तियुक्त निर्बंधन (**Reasonable Restrictions**):

मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इन पर प्रतिबंध लगाने के आधार दिए गए हैं:

- आधार: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन।

क्या ये प्रतिबंध न्यायसंगत हैं?

इसका विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जा सकता है:

- अधिकार बनाम सुरक्षा: कोई भी स्वतंत्रता अराजकता में नहीं बदलनी चाहिए। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देश में दंगे भड़कते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।
- न्यायपालिका की भूमिका: कोई प्रतिबंध 'युक्तियुक्त' (Reasonable) है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय न्यायालय

करता है। सरकार मनमाने ढंग से अधिकारों को नहीं छीन सकती।

- दुरुपयोग की आशंका: आलोचकों का मानना है कि 'राज्य की सुरक्षा' या 'मानहानि' जैसे शब्दों का उपयोग सरकार अक्सर असहमति की आवाजों को दबाने के लिए करती है। हाल के वर्षों में इंटरनेट शटडाउन और देशद्रोह (Sedition) के कानूनों पर इसी संदर्भ में बहस हुई है।

निष्कर्ष: स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। युक्तियुक्त निर्बंधन स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए ही लगाए जाते हैं, ताकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के अधिकारों का हनन न करे।

प्रश्न 35: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के महत्व की विवेचना कीजिए। इन्हें 'न्याययोग्य' (Justiciable) न बनाए जाने के पीछे संविधान निर्माताओं के क्या तर्क थे?

उत्तर:

परिचय: भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। ये तत्व राज्य के लिए वे 'नैतिक निर्देश' हैं जिनका पालन शासन और कानून निर्माण के समय किया जाना चाहिए। इनका मुख्य लक्ष्य एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना करना है।

नीति निर्देशक तत्वों का महत्व:

1. सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र: जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय (जैसे- समान कार्य के लिए समान वेतन, धन का समान वितरण) सुनिश्चित करते हैं।

2. सरकारों का मार्गदर्शन: ये तत्व भविष्य की सरकारों के लिए एक स्थायी एजेंडा या घोषणापत्र की तरह हैं, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो।
3. न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ: न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखते हैं।
4. लोक कल्याण: ग्राम पंचायतों का गठन, शिक्षा का अधिकार, और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रावधान इन्हीं तत्वों की देन हैं।

इन्हें 'न्याययोग्य' न बनाए जाने के कारण:

संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हुई थी। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू न कराए जाने (Non-justiciable) के पीछे निम्नलिखित तर्क थे:

- संसाधनों की कमी: स्वतंत्रता के समय भारत के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे कि वह 'काम का अधिकार' या 'निशुल्क शिक्षा' जैसे अधिकारों को कानूनी रूप से अनिवार्य बना सके।
- प्रशासनिक जटिलता: यदि इन सभी को अनिवार्य कर दिया जाता, तो सरकार हर छोटे-बड़े काम के लिए अदालतों के चक्कर काटती रहती और विकास कार्य ठप हो जाते।
- लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व: डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि इन तत्वों के पीछे 'कानूनी शक्ति' नहीं बल्कि 'जनमत की शक्ति' है। यदि कोई सरकार इन्हें लागू नहीं करती, तो उसे अगले चुनाव में जनता को जवाब देना होगा।

मूल्यांकन: यद्यपि ये तत्व न्याययोग्य नहीं हैं, फिर भी संविधान का अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि "ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं।" समय के साथ संसद ने कई निर्देशक तत्वों को कानून

बनाकर लागू किया है (जैसे- 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार और पंचायती राज अधिनियम)।

प्रश्न 36: भारतीय संविधान में 'मौलिक कर्तव्यों' (**Fundamental Duties**) के समावेश के औचित्य पर प्रकाश डालिए। क्या ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी होने चाहिए?

उत्तर:

पृष्ठभूमि: मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इन्हें भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है।

समावेश का औचित्य:

1. अधिकार और कर्तव्य का संतुलन: लोकतांत्रिक समाज में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नागरिकों को यह महसूस कराना आवश्यक था कि यदि वे अधिकारों का उपभोग करते हैं, तो राष्ट्र के प्रति उनके कुछ दायित्व भी हैं।
2. अनुशासन और राष्ट्रवाद: सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना जैसे कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं।
3. संवैधानिक मर्यादा: संविधान का सम्मान करना और राष्ट्रगान/राष्ट्रध्वज का आदर करना हर नागरिक का बुनियादी फर्ज है।
4. पर्यावरण और वैज्ञानिक सोच: वर्तमान युग की चुनौतियों को देखते हुए वन्यजीवों का संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना कर्तव्यों में शामिल किया गया।

क्या ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होने चाहिए?

इस पर दो मत हैं:

- पक्ष में तर्क: यदि कर्तव्य केवल 'उपदेश' बनकर रह जाएंगे, तो लोग इनका पालन नहीं करेंगे। जैसे- कर चोरी करना या सार्वजनिक संपत्ति को जलाना दंडनीय होना ही चाहिए।
- विपक्ष में तर्क: कर्तव्यों की प्रकृति 'नैतिक' होती है। इन्हें थोपा नहीं जा सकता। कानूनी बाध्यता से नागरिक डरे हुए रहेंगे, जिससे लोकतंत्र का सहज विकास बाधित होगा। इसके अलावा, कई कर्तव्य 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' जैसे अस्पष्ट शब्दों पर आधारित हैं, जिनकी कानूनी व्याख्या कठिन है।

वर्तमान स्थिति: यद्यपि संविधान में इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है, परंतु संसद ने विभिन्न कानूनों (जैसे- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम) के माध्यम से कई कर्तव्यों को अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी बना दिया है।

प्रश्न 37: अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की 'लचीलेपन और कठोरता' के मिश्रण के रूप में समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

परिचय: किसी भी जीवंत संविधान के लिए समय के साथ बदलना आवश्यक है। भारतीय संविधान के भाग XX के अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है।

संशोधन की तीन विधियाँ:

1. साधारण बहुमत द्वारा: कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए केवल संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है

(जैसे- नए राज्यों का प्रवेश, नागरिकता)। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर मानी जाती है।

2. विशेष बहुमत द्वारा (अनुच्छेद 368): इसके लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होती है। (उदाहरण: मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व)।
3. विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति: यदि संशोधन संविधान के 'संघात्मक ढांचे' (जैसे- राष्ट्रपति का निर्वाचन, सातवीं अनुसूची, स्वयं अनुच्छेद 368) से संबंधित हो, तो विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन अनिवार्य है।

लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण:

- लचीलापन (ब्रिटिश प्रभाव): संविधान के कई हिस्सों को साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, जिससे यह समय की मांग के अनुसार आसानी से ढल जाता है। अब तक 100 से अधिक संशोधन होना इसका प्रमाण है।
- कठोरता (अमेरिकी प्रभाव): महत्वपूर्ण संघात्मक प्रावधानों को बदलना बहुत कठिन है, ताकि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को हनन न कर सके।

मूल्यांकन: भारतीय संविधान न तो इतना लचीला है कि सत्ताधारी दल इसे खिलौना बना ले, और न ही इतना कठोर कि यह विकास में बाधा बन जाए। केशवानंद भारती मामले के बाद 'मूल ढांचे' के सिद्धांत ने इस शक्ति पर एक तार्किक सीमा लगा दी है, जिससे संविधान की मौलिकता सुरक्षित रहती है।

प्रश्न 38: भारतीय न्यायपालिका में 'न्यायिक सक्रियता' (**Judicial Activism**) और 'जनहित याचिका' (**PIL**) के उद्भव और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

परिचय: पारंपरिक रूप से न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना था, लेकिन 1980 के दशक के बाद भारतीय न्यायपालिका ने अधिक सक्रिय भूमिका अपनानी शुरू की। इसे 'न्यायिक सक्रियता' कहा जाता है।

जनहित याचिका (PIL) का उद्भव:

जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर को पीआईएल का जनक माना जाता है।

- **परिवर्तन:** पहले केवल वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता था जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो (Locus Standi)। पीआईएल के तहत अब कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज के दबे-कुचले वर्गों या सार्वजनिक हित (जैसे- पर्यावरण, भ्रष्टाचार) के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। एक पोस्टकार्ड को भी याचिका माना जा सकता है।

न्यायिक सक्रियता के कारण:

1. **विधायिका और कार्यपालिका की विफलता:** जब सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में नाकाम रहती है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
2. **नागरिक जागरूकता:** लोग अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हैं।
3. **संवैधानिक दायित्व:** मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है।

सकारात्मक प्रभाव:

- कमजोर वर्गों को न्याय: बंधुआ मजदूरी, कैदियों के अधिकार और बच्चों के शोषण जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय आए।
- पर्यावरण संरक्षण: दिल्ली में सीएनजी बसें चलाना और नदियों की सफाई जैसे आदेश न्यायपालिका की सक्रियता के उदाहरण हैं।
- शासन में पारदर्शिता: विशाखा गाइडलाइंस (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न) और चुनाव सुधार इसके बड़े उदाहरण हैं।

आलोचना:

आलोचकों का तर्क है कि न्यायपालिका 'शक्तियों के पृथक्करण' (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। इसे 'न्यायिक अतिक्रमण' कहा जाने लगा है क्योंकि न्यायाधीश नीति निर्माण का कार्य करने लगे हैं, जो कि संसद का काम है।

प्रश्न 39: भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और वास्तविक स्थिति का परीक्षण कीजिए। क्या राष्ट्रपति केवल एक 'रबर स्टैम्प' है?

उत्तर:

संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह राष्ट्र का प्रथम नागरिक और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हालांकि, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण वह 'संवैधानिक प्रमुख' (De Jure Head) है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं।

प्रमुख शक्तियां:

1. **कार्यपालिक:** सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वह प्रधानमंत्री, राज्यपालों, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।

2. विधायी: संसद का सत्र बुलाना, लोकसभा भंग करना और संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना।
3. सैन्य एवं न्यायिक: सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति।
4. आपातकालीन: अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की घोषणा।

क्या राष्ट्रपति केवल एक 'रबर स्टैम्प' है?

यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। यद्यपि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है (42वें और 44वें संशोधन के बाद), फिर भी उसे कुछ 'विवेकाधीन शक्तियां' प्राप्त हैं:

- विधेयकों को लौटाना: वह किसी विधेयक (धन विधेयक के अलावा) को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
- जेबी वीटो (**Pocket Veto**): वह किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक मौन रह सकता है (जैसे- ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया था)।
- त्रिशंकु लोकसभा: यदि किसी दल को बहुमत न मिले, तो प्रधानमंत्री के चयन में उसकी भूमिका निर्णायक होती है।
- सूचना का अधिकार: वह सरकार से किसी भी प्रशासनिक विषय पर जानकारी मांग सकता है।

निष्कर्ष: राष्ट्रपति का पद 'रबर स्टैम्प' का नहीं बल्कि 'अभिभावक' का है। वह राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की मर्यादा को बनाए रखने का कार्य करता है। उसकी स्थिति एक 'संवैधानिक प्रहरी' की है।

प्रश्न 40: "प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय रूपी मेहराब की आधारशिला है।" इस कथन के आलोक में भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

परिचय: लॉर्ड मोर्ले ने प्रधानमंत्री को "समानों में प्रथम" (First among equals) कहा था, लेकिन आज की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति "तारों के बीच चंद्रमा" की तरह है। वह सरकार का वास्तविक प्रमुख (De Facto Head) होता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य:

1. **मंत्रिपरिषद् का गठन:** मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही करता है। वह उनके विभागों का बंटवारा करता है और किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। उसकी मृत्यु या इस्तीफे का अर्थ पूरी सरकार का इस्तीफा होता है।
2. **मंत्रिमंडल की अध्यक्षता:** वह कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा तय करता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। अंतिम निर्णय उसी का होता है।
3. **संसद का नेता:** वह सदन में सरकार की प्रमुख नीतियों की घोषणा करता है और महत्वपूर्ण बहसों का उत्तर देता है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है।
4. **राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी:** संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
5. **विदेशी संबंधों का संचालन:** देश की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में प्रधानमंत्री की भूमिका सर्वोपरि होती है।

6. नियुक्ति संबंधी शक्तियां: नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति उसके व्यक्तित्व और संसद में उसके बहुमत पर निर्भर करती है। यदि सरकार गठबंधन की है, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत की स्थिति में वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। अतः वह वास्तव में शासन की धुरी है।

प्रश्न 41: राज्य की राजनीति में राज्यपाल (**Governor**) की भूमिका और शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यपाल का पद विवादों का केंद्र क्यों बना रहता है?

उत्तर:

संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है - एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और दूसरी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में।

प्रमुख शक्तियां:

- कार्यपालिक: मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति।
- विधायी: विधानसभा का सत्र बुलाना और भंग करना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना।
- विवेकाधीन शक्तियां: त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन, राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) की सिफारिश, और विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना।

विवाद के प्रमुख कारण:

1. केंद्र का एजेंट: राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी केंद्र सरकार (राष्ट्रपति) की इच्छा पर निर्भर करती है। अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राज्यपाल का उपयोग करता है।
2. अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग: कई बार राज्यपाल विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए गलत रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं।
3. मुख्यमंत्री के चयन में पक्षपात: चुनाव में स्पष्ट बहुमत न होने पर राज्यपाल अक्सर केंद्र के पसंदीदा दल को पहले मौका देते हैं।
4. विधेयकों को रोकना: राज्य सरकारों द्वारा पारित प्रगतिशील विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखकर विकास कार्यों में बाधा डालते हैं।

सुझाव: सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यपाल का पद गैर-राजनीतिक होना चाहिए और उसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। राज्यपाल को सक्रिय राजनीति से दूर एक 'तटस्थ मध्यस्थ' होना चाहिए।

प्रश्न 42: लोकसभा अध्यक्ष (**Speaker**) की शक्तियाँ और कार्य का वर्णन कीजिए। सदन की गरिमा बनाए रखने में उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

परिचय: लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सम्माननीय पद है। वह सदन का संरक्षक और उसकी मर्यादा का प्रतीक होता है। एक बार चुने जाने के बाद, उसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्षता से कार्य करना होता है।

शक्तियाँ एवं कार्य:

1. **सदन का संचालन:** वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाता है। सदन में अनुशासन बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
2. **विधेयकों का निर्णय:** कोई विधेयक 'धन विधेयक' (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है। उसके इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
3. **सदन की समितियों पर नियंत्रण:** वह विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का निरीक्षण करता है।
4. **कास्टिंग वोट (Casting Vote):** सामान्यतः वह मतदान नहीं करता, लेकिन यदि किसी विषय पर मत बराबर (Tie) हो जाएं, तो वह अपना निर्णायक मत देता है।
5. **दल-बदल पर निर्णय:** दसवीं अनुसूची के तहत सांसदों की अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष ही करता है।

सदन की गरिमा बनाए रखने में भूमिका:

अध्यक्ष सदन के भीतर सदस्यों के अधिकारों का रक्षक है। वह विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देता है और सत्तापक्ष को जवाबदेह बनाता है। वह अभद्र भाषा या व्यवहार करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित कर सकता है।

मूल्यांकन: हाल के वर्षों में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, विशेषकर दल-बदल के मामलों में निर्णय लेने में देरी को लेकर। फिर भी, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष का पद सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोच्च प्रहरी बना हुआ है।

प्रश्न 43: भारत में 'केंद्र-राज्य विधायी संबंधों' (**Legislative Relations**) का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्या केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है?

उत्तर:

परिचय: भारतीय संविधान के भाग XI (अनुच्छेद 245-255) में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। भारत में संघीय शासन प्रणाली तो है, लेकिन इसका झुकाव केंद्र की ओर अधिक है।

शक्तियों का विभाजन (सातवीं अनुसूची):

1. संघ सूची: इसमें रक्षा, विदेश नीति, रेलवे जैसे 100 महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है।
2. राज्य सूची: इसमें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य जैसे 61 विषय हैं, जिन पर सामान्यतः राज्य कानून बनाते हैं।
3. समवर्ती सूची: इसमें शिक्षा, वन जैसे 52 विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा।
4. अवशिष्ट शक्तियां (**Residuary Powers**): जो विषय तीनों सूचियों में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र (संसद) को है।

केंद्र का राज्यों की सूची में हस्तक्षेप (असाधारण परिस्थितियाँ):

कुछ स्थितियों में केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है:

- अनुच्छेद **249**: यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक विषय 'राष्ट्रीय महत्व' का है।
- अनुच्छेद **252**: यदि दो या दो से अधिक राज्य स्वयं केंद्र से कानून बनाने का आग्रह करें।
- अनुच्छेद **250**: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
- अनुच्छेद **253**: अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए।

क्या केंद्र अधिक शक्तिशाली है?

हाँ, इसके कई कारण हैं:

- समवर्ती सूची में केंद्र की वरीयता।
- अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना।
- राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण।
- वित्तीय निर्भरता (राज्यों को अनुदान के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है)।

निष्कर्ष: संविधान निर्माताओं ने भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत केंद्र की स्थापना की थी। यद्यपि केंद्र शक्तिशाली है, लेकिन 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के युग में केंद्र और राज्यों का तालमेल आवश्यक है।

प्रश्न 44: भारत में 'वित्तीय संघवाद' (Financial Federalism) की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। वित्त आयोग और GST की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

परिचय: किसी भी संघीय व्यवस्था की सफलता संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान के भाग XII में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विस्तृत वर्णन है।

वित्तीय संसाधनों का विभाजन:

भारत में कर लगाने की शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण और अधिक आय देने वाले कर (जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क) केंद्र के पास हैं, जबकि राज्यों के पास कृषि भूमि, शराब और स्टाम्प ड्यूटी जैसे सीमित संसाधन हैं।

इस असंतुलन को दूर करने के लिए संविधान में 'वित्त आयोग' का प्रावधान है।

वित्त आयोग की भूमिका (अनुच्छेद 280):

राष्ट्रपति हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसके मुख्य कार्य हैं:

- केंद्र द्वारा वसूले गए करों (Divisible Pool) का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की सिफारिश करना।
- राज्यों के बीच करों के आवंटन का आधार तय करना (जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन क्षेत्र)।
- राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांत तय करना।

GST (वस्तु एवं सेवा कर) का प्रभाव:

101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू GST ने भारतीय वित्तीय संघवाद को बदल दिया है:

- इसने 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को साकार किया।
- राज्यों ने अपनी कर लगाने की स्वायत्तता का त्याग किया और बदले में GST परिषद में भागीदारी प्राप्त की।
- GST परिषद 'सहकारी संघवाद' का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय लेते हैं।

चुनौतियाँ:

राज्यों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि उन्हें उनके हिस्से का फंड समय पर नहीं मिलता। कोरोना काल में GST मुआवजे (Compensation) को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच काफी विवाद हुआ था। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ती जा रही है, जो संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती है।

प्रश्न 45: 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर:

परिचय: न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के किसी भी अनुचित प्रभाव, दबाव या हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है?

- मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए।
- संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए।
- केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए।
- कानून का शासन (Rule of Law) सुनिश्चित करने के लिए।

स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान:

1. **नियुक्ति की प्रक्रिया:** न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली का प्रभाव है, जिससे कार्यपालिका का हस्तक्षेप कम होता है।
2. **कार्यकाल की सुरक्षा:** न्यायाधीशों को हटाना अत्यंत कठिन है। उन्हें केवल 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' के आधार पर संसद में महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
3. **निश्चित वेतन और भत्ते:** न्यायाधीशों के वेतन 'भारत की संचित निधि' पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। उनके कार्यकाल के दौरान उनमें कटौती नहीं की जा सकती।

4. **सदन में चर्चा पर रोक (अनुच्छेद 121):** संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन न हो।
5. **अवमानना के लिए दंड (Contempt of Court):** न्यायपालिका को अपनी गरिमा गिराने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
6. **रिटायरमेंट के बाद वकालत पर रोक:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।
7. **शक्तियों का पृथक्करण (अनुच्छेद 50):** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है।

निष्कर्ष: इन प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक मानी जाती है, जिसने समय-समय पर लोकतंत्र की रक्षा की है।

प्रश्न 46: उच्च न्यायालय (High Court) के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

परिचय: भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकीकृत (Integrated) है, जिसमें राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय शीर्ष संस्था है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हालांकि संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है (जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय)।

संगठन:

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।

क्षेत्राधिकार और शक्तियां:

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार: वसीयत, विवाह, कंपनी कानून, अवमानना और चुनाव विवादों (सांसद/विधायक) से संबंधित मामले सीधे उच्च न्यायालय में आ सकते हैं।
2. रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226): यह उच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यह मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसकी यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) से भी अधिक व्यापक है।
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार: यह अपने अधीन जिला और सत्र न्यायालयों के दीवानी और फौजदारी फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है।
4. अधीक्षण की शक्ति (अनुच्छेद 227): उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (Tribunals) के कामकाज की देखरेख और नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है।
5. अभिलेख न्यायालय: इसके निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून की तरह मान्य होते हैं और उन्हें रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

निष्कर्ष: उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक व्यवस्था का धुरी है। यह न केवल न्याय प्रदान करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतें कानून के अनुसार कार्य कर रही हैं।

प्रश्न 47: भारत के निर्वाचन आयोग (**Election Commission**) के कार्यों का वर्णन कीजिए। निष्पक्ष चुनाव कराने में इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

उत्तर:

परिचय: लोकतंत्र की नींव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन और नियंत्रण करता है।

प्रमुख कार्य:

1. मतदाता सूची तैयार करना: हर चुनाव से पहले योग्य नागरिकों का पंजीकरण करना और फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना।
2. परिसीमन: जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना।
3. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा: चुनाव की तारीखें तय करना और नामांकन प्रक्रिया का प्रबंधन करना।
4. आचार संहिता लागू करना: चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियम तय करना ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो।
5. दलों को मान्यता: राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
6. विवादों का निपटारा: चुनाव से संबंधित शिकायतों की जांच करना।

प्रमुख चुनौतियां:

- **धन बल (Money Power):** चुनावों में भारी मात्रा में काले धन का प्रयोग होता है, जिसे रोकना आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
- **बाहुबल और हिंसा:** कुछ क्षेत्रों में डराना-धमकाना और बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें आज भी होती हैं।
- **फर्जी खबरें और सोशल मीडिया:** नफरत भरे भाषण (Hate Speech) और सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं।
- **आपराधिक छवि के उम्मीदवार:** राजनीति के अपराधीकरण के कारण दागी लोग संसद पहुँच रहे हैं।
- **EVMs पर संदेह:** विपक्षी दलों द्वारा अक्सर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं, जिससे जनता का भरोसा डगमगाता है।

निष्कर्ष: तमाम चुनौतियों के बावजूद, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी है। VVPAT और कड़े चुनावी सुधारों के जरिए इसने विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बनाई है।

प्रश्न 48: भारतीय संविधान की 'छठी अनुसूची' के विशेष प्रावधानों की विवेचना कीजिए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?

उत्तर:

परिचय: भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखना है।

प्रमुख प्रावधान:

1. **स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs):** इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। इनमें

अधिकतम 30 सदस्य होते हैं (4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत और 26 निर्वाचित)।

2. विधायी शक्तियां: ये परिषदें भूमि, वन, नहर के पानी, विवाह, उत्तराधिकार और सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे विषयों पर कानून बना सकती हैं। हालांकि इन कानूनों को राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।
3. न्यायिक शक्तियां: छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने के लिए ये परिषदें अपने 'ग्राम न्यायालय' बना सकती हैं। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है।
4. वित्तीय शक्तियां: इन्हें भूमि राजस्व वसूलने और कुछ कर लगाने का अधिकार होता है। केंद्र और राज्य सरकार के फंड का एक हिस्सा इन्हें सीधे प्राप्त होता है।
5. संसद/विधानमंडल के कानूनों का लागू न होना: राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा।

महत्व:

- संस्कृति का संरक्षण: पूर्वोत्तर की जनजातियों को अपनी परंपराओं के अनुसार जीने का संवैधानिक संरक्षण मिलता है।
- राजनीतिक स्वायत्तता: इससे स्थानीय लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है, जिससे अलगाववाद की भावनाओं में कमी आती है।
- भूमि का अधिकार: बाहरी लोगों को जनजातीय भूमि खरीदने से रोककर उनके आर्थिक हितों की रक्षा होती है।

निष्कर्ष: छठी अनुसूची 'विविधता में एकता' के भारतीय दर्शन का प्रतीक है। यह जनजातीय समुदायों को राष्ट्र की मुख्यधारा से

जोड़ते हुए उनकी मौलिकता को बचाए रखने का एक सफल प्रयोग है।

प्रश्न 49: भारत के वर्तमान संविधान पर '1935 के भारत सरकार अधिनियम' के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। क्या भारतीय संविधान केवल एक 'उधार का थैला' है?

उत्तर:

परिचय: भारतीय संविधान कोई अचानक बना दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इसका सबसे बड़ा कानूनी आधार है। लगभग 70% संविधान इसी अधिनियम से प्रभावित है।

1935 के अधिनियम का प्रभाव:

1. **संघीय व्यवस्था:** केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (तीन सूचियां) इसी अधिनियम से लिया गया है।
2. **राज्यपाल का पद:** राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की अवधारणा यहीं से आई।
3. **न्यायपालिका:** संघीय न्यायालय (Federal Court) का ढांचा वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का आधार बना।
4. **प्रशासनिक ढांचा:** लोक सेवा आयोग (UPSC) और आपातकालीन प्रावधानों का मूल ढांचा भी यहीं से लिया गया है।
5. **द्विसदनीय व्यवस्था:** संसद के दो सदनों की व्यवस्था इसी अधिनियम का विस्तार है।

क्या संविधान एक 'उधार का थैला' है?

आलोचक अक्सर कहते हैं कि हमने सब कुछ बाहर से लिया है - जैसे मौलिक अधिकार (अमेरिका), संसदीय प्रणाली (ब्रिटेन), नीति निर्देशक तत्व (आयरलैंड)।

इसका खंडन:

डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि "किसी भी संविधान की बुनियादी बातों में कुछ भी नया नहीं हो सकता।" भारत ने उधार तो लिया है, लेकिन उसे 'भारतीय परिस्थितियों' के अनुरूप ढाला है:

- ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, लेकिन भारत ने संविधान को संप्रभु बनाया।
- अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म और राज्य का पूर्ण विच्छेद है, लेकिन भारत ने 'सर्वधर्म समभाव' को अपनाया।
- कनाडा के संघवाद को लेकर हमने एक मजबूत केंद्र बनाया जो भारत की एकता के लिए जरूरी था।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान को 'उधार का थैला' कहना गलत है। यह विश्व के विभिन्न संविधानों के सर्वोत्तम गुणों का एक 'सुसंगत मिश्रण' (Masterly Synthesis) है, जो भारत की विविधता को संजोए हुए है।

प्रश्न 50: भारतीय लोकतंत्र की पिछले 75 वर्षों की सफलताओं और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

परिचय: 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो कई पश्चिमी विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि इतनी गरीबी और विविधता वाला देश लोकतंत्र के रूप में जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा और स्थिर लोकतंत्र है।

सफलताएं:

1. लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होना: हमने नियमित रूप से निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण किया है। एक गरीब किसान भी वोट की शक्ति से सरकार बदल सकता है।
2. विविधता में एकता: भारत ने सैकड़ों भाषाओं और धर्मों को एक सूत्र में पिरोए रखा है। कोई बड़ा गृहयुद्ध नहीं हुआ।
3. संवैधानिक सर्वोच्चता: न्यायपालिका ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है और सरकार को उसकी सीमाओं में रखा है।
4. हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण: आरक्षण और पंचायती राज के माध्यम से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है।
5. आर्थिक प्रगति: भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अंतरिक्ष से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक अग्रणी है।

चुनौतियां:

1. आर्थिक असमानता: अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ रही है। गरीबी और बेरोजगारी आज भी बड़ी समस्याएं हैं।
2. राजनीति का अपराधीकरण: संसद में दागी प्रतिनिधियों की संख्या का बढ़ना चिंता का विषय है।
3. सांप्रदायिकता और जातिवाद: राजनीति में धर्म और जाति का कार्ड खेलकर ध्रुवीकरण किया जाता है, जो सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है।
4. भ्रष्टाचार: शासन और प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार आज भी आम जनता को परेशान करता है।
5. न्यायिक विलंब: न्याय मिलने में लगने वाला लंबा समय 'न्याय में देरी, न्याय की हत्या' के समान है।

निष्कर्ष: भारतीय लोकतंत्र एक 'विकासशील प्रक्रिया' है। अपनी तमाम कमियों के बावजूद, भारतीय जनता का लोकतंत्र में अटूट विश्वास ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले 25 वर्षों (अमृत काल) में हमें इन चुनौतियों को पार कर एक समृद्ध और समावेशी राष्ट्र बनाना होगा।